



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची ।**



e-mail : pccf-development@gov.in

वन भवन, डोरण्डा, राँची
- 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0बजट-17/2019-352 दिनांक : 18/07/23

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल/ गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल/ गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल/ गोड्डा वन प्रमंडल/ देवघर वन प्रमंडल/ चतरा उत्तरी वन प्रमंडल/ चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल/ कोडरमा वन प्रमंडल/ हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल/ गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल/ गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल/ रामगढ़ वन प्रमंडल/ बोकारो वन प्रमंडल/ धनबाद वन प्रमंडल/ जमशेदपुर वन प्रमंडल/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण, अवकृष्ट वनों का पुनर्वास, शीघ्र बढ़ने वाले पौधा का रोपण एवं नदियों के उद्गम स्थल पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) हेतु कुल **रु0 370.713 लाख (तीन करोड़ सत्तर लाख एकहत्तर हजार तीन सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 4/यो0ब0-28/2019-08/स्वी0 व0प0 दिनांक 18.06.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0ब0-35/2022-02/SCSP व0प0 दिनांक 28.04.2023 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 370.713 लाख (तीन करोड़ सत्तर लाख एकहत्तर हजार तीन सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060178958010103	358.735
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060178958010323	11.978
कुल :-		370.713

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से 1 (घ) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) से 2 (ग) तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।
3. इस योजना का कोड संख्या-19S24060178958010103, 19S24060178958010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/DBT/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।
7. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।
8. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

15. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

16. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा समर्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रतर राशि दी जाय।

(IV) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(V) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VI) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(VIII) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(IX) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(X) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XI) श्रोत पर (At source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

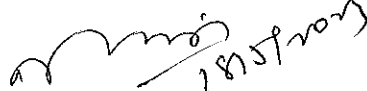
विश्वासभाजन,


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-17/2019-352 दिनांक-18/05/23

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/ संधाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/ दुमका/ हजारीबाग/ बोकारो/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/ गढ़वा/ दुमका/ देवघर/ चतरा/ हजारीबाग/ गिरिडीह/ बोकारो/ जमशेदपुर/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-17/2019-352 दिनांक-18/05/23

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/ गढ़वा/ गोड्डा/ देवघर/ चतरा/ कोडरमा/ हजारीबाग/ गिरिडीह/ रामगढ़/ बोकारो/ धनबाद/ जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-1 (क)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे०) का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			14255.61	500.00	14755.61
i	ii	iii	iv	v	vi
1	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	80.00	11.403	0.400	11.803
2	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल	50.00	7.128	0.250	7.378
3	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल	50.00	7.128	0.250	7.378
4	गोड्डा वन प्रमण्डल	50.00	7.128	0.250	7.378
5	देवघर वन प्रमण्डल	50.00	7.128	0.250	7.378
6	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	150.00	21.383	0.750	22.133
7	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	150.00	21.383	0.750	22.133
8	कोडरमा वन प्रमण्डल	20.00	2.851	0.100	2.951
9	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	50.00	7.128	0.250	7.378
10	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	100.00	14.256	0.500	14.756
11	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	150.00	21.383	0.750	22.133
12	साठवा० प्रमण्डल, देवघर	50.00	7.128	0.250	7.378
13	साठवा० प्रमण्डल, कोडरमा	100.00	14.256	0.500	14.756
14	साठवा० प्रमण्डल, हजारीबाग	100.00	14.256	0.500	14.756
15	साठवा० प्रमण्डल, गढ़वा	100.00	14.256	0.500	14.756
योग :-		1250.00	178.195	6.250	184.445

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हे०) का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			11129.99	300.00	11429.99
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गोड्डा वन प्रमण्डल	100.00	11.130	0.300	11.430
2	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	150.00	16.695	0.450	17.145
3	कोडरमा वन प्रमण्डल	30.00	3.339	0.090	3.429
4	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	50.00	5.565	0.150	5.715
5	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	100.00	11.130	0.300	11.430
6	रामगढ़ वन प्रमण्डल	50.00	5.565	0.150	5.715
7	बोकारो वन प्रमण्डल	100.00	11.130	0.300	11.430

8	सा0वा0 प्रमण्डल, देवघर	50.00	5.565	0.150	5.715
9	सा0वा0 प्रमण्डल, कोडरमा	100.00	11.130	0.300	11.430
10	सा0वा0 प्रमण्डल, हजारीबाग	100.00	11.130	0.300	11.430
11	सा0वा0 प्रमण्डल, गढ़वा	100.00	11.130	0.300	11.430
योग :-		930.00	103.509	2.790	106.299

अनुलग्नक-1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हे०) का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			18396.20	750.00	19146.20
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गोड़डा वन प्रमण्डल	50.00	9.198	0.375	9.573
2	देवघर वन प्रमण्डल	50.00	9.198	0.375	9.573
3	जमशेदपुर वन प्रमण्डल	50.00	9.198	0.375	9.573
4	कोडरमा वन प्रमण्डल	25.00	4.599	0.188	4.787
5	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	50.00	9.198	0.375	9.573
योग :-		225.00	41.391	1.688	43.079

अनुलग्नक-1 (घ)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत नदियों के उदगम स्थल पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे०) का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			14255.61	500.00	14755.61
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल	100.00	14.256	0.500	14.756
2	बोकारो वन प्रमण्डल	50.00	7.128	0.250	7.378
3	रामगढ़ वन प्रमण्डल	50.00	7.128	0.250	7.378
4	धनबाद वन प्रमण्डल	50.00	7.128	0.250	7.378
योग :-		250.00	35.640	1.250	36.890
सकल योग :-		2655.00	358.735	11.978	370.713

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे०)

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3m x 2m)

मजदूरी दर : 346.01 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	23.00	7958.23	0.00	7958.23	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	500.00	500.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	स्थल	12.20	4221.32	0.00	4221.32	
4	घेरान की मरम्मत	चेन	6.00	2076.06	0.00	2076.06	
	योग-		41.20	14255.61	500.00	14755.61	

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास वृक्षारोपण (1000 पौधा प्रति हे०)

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 346.01 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3m x 3m अथवा 2m x 2m अथवा 3m x 2m (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	14.00	4844.14	0.00	4844.14	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	300.00	300.00	
3	पौधों की सुरक्षा		12.17	4209.79		4209.79	
4	घेरान की मरम्मत	6 चेन प्रति हे०	6.00	2076.06		2076.06	
	योग :-		32.17	11129.99	300.00	11429.99	

Addl. Principal Chief Conservator of Forests, Development
 Jharkhand, Ranchi

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हे०)

पौधों की संख्या प्रति हे० : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मी० X 2 मी०

मजदूरी दर : 346.01 प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे०	35.00	12110.35	0.00	12110.35	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद,	हे०	0.00	0.00	750.00	750.00	
3	पौधों की सुरक्षा		12.17	4209.79	0.00	4209.79	
4	घेरान की मरम्मत	6 चेन	6.00	2076.06	0.00	2076.06	
योग :-			53.17	18396.20	750.00	19146.20	


 Addl. Principal Chief Conservator of Forests, Development
 Jharkhand, Ranchi



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

घातु वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-17/2019/352

दिनांक - 18-May-2023

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27015	PLMFOR070 SAUMITRA SHUKLA IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 03 - मजदूरी	1,140,300.00 रुपये ग्यारह लाख चालीस हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27016	GRHFWL001 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O. NORTH DIV. GARHWA 03 - मजदूरी	712,800.00 रुपये सात लाख बारह हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27017	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 03 - मजदूरी	712,800.00 रुपये सात लाख बारह हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये पच्चीस लाख पैंसठ हजार नौ सौ

क्रमिक योग:

2,565,900.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
4	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27018	GDDFOR164 MAUN PRAKASH DFO GODDA FOREST DIVISION 03 - मजदूरी	2,745,600.00 रुपये सत्ताइस लाख पैंतालीस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27019	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 03 - मजदूरी	1,632,600.00 रुपये सोलह लाख बत्तीस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27020	CTRFOR002 RAHUL MEENA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 03 - मजदूरी	2,138,300.00 रुपये इक्कीस लाख अड़तीस हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये नब्बे लाख बयासी हजार चार सौ

6,516,500.00

क्रमिक योग:

9,082,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. ECCE DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27021	CTRFOR003 SRI SHABA ALAM ANSARI D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 03 - मजदूरी	3,807,800.00 रुपये अड़तीस लाख सात हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27022	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 03 - मजदूरी	1,078,900.00 रुपये दस लाख अठहत्तर हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27023	HZBFWL009 SOURAV CHANDRA DIV. FOREST OFFICE EAST 03 - मजदूरी	1,269,300.00 रुपये बारह लाख उनहत्तर हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड़ बावन लाख अड़तीस हजार चार सौ

6,156,000.00

क्रमिक योग:

15,238,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

8/05/2023 P.C.E. DEV. BHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27024	HZBFWL005 SHABA ALAM ANSARI D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB 03 - मजदूरी	3,458,400.00 रुपये चौतीस लाख अठारवन हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27025	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 03 - मजदूरी	2,138,300.00 रुपये इक्कीस लाख अड़तीस हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27026	GRDFOR003 ANKIT KUMAR SINGH D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 03 - मजदूरी	1,425,600.00 रुपये चौदह लाख पच्चीस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये दो करोड बाइस लाख साठ हजार सात सौ

7,022,300.00

क्रमिक योग:

22,260,700.00

(NAND KISHORE SINGH)

ACD, PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27027	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE	1,269,300.00 रुपये बारह लाख उनहत्तर हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA		03 - मजदूरी	
14	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27028	BKRFOR001 RAJNISH KUMAR, I.F.S D F O, BOKARO	1,825,800.00 रुपये अठारह लाख पच्चीस हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA		03 - मजदूरी	
15	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27029	DHNFOR001 VIKAS PALIWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER	712,800.00 रुपये सात लाख बारह हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA		03 - मजदूरी	

योग:

रुपये दो करोड़ साहठ लाख अडसठ हजार छः सौ

3,807,900.00

क्रमिक योग:

26,068,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

88 JMDI, PCCF DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27030	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 03 - मजदूरी	919,800.00 रुपये चौ लाख उन्नीस हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
17	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27031	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 03 - मजदूरी	1,269,300.00 रुपये बारह लाख उनहत्तर हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
18	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27032	KDMFORA02 MAHALING D.F.O (S.F.) KODERM 03 - मजदूरी	2,538,600.00 रुपये पच्चीस लाख अड़तीस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये तीन करोड सात लाख छयानवे हजार तीन सौ

4,727,700.00

क्रमिक योग:

30,796,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

PCCF DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27033	HZBFWL007 SAROJ BHAI PATEL IFS रुपये पच्चीस लाख अड़तीस हजार रु: सौ D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG 03 - मजदूरी	2,538,600.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
20	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27034	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA रुपये पच्चीस लाख अड़तीस हजार रु: सौ DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 03 - मजदूरी	2,538,600.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
21	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27037	PLMFOR070 SAUMITRA SHUKLA IFS रुपये चालीस हजार D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	40,000.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये तीन करोड उनसठ लाख तेरह हजार पाँच सौ

5,117,200.00

क्रमिक योग:

35,913,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

JODI, PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27038	GRHFWL001 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O. NORTH DIV. GARHWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
23	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27039	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
24	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27042	GDDFOR164 MAUN PRAKASH DFO GODDA FOREST DIVISION 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	92,500.00 रुपये बयानवे हजार पाँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: 142,500.00
क्रमिक योग: रुपये तीन करोड साहट लाख छप्पन हजार 36,056,000.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL PCCF DEV JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27043	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	62,500.00 रुपये बासठ हजार पाँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
26	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27044	CTRFOR002 RAHUL MEENA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	75,000.00 रुपये पचहत्तर हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
27	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27045	CTRFOR003 SRI SHABA ALAM ANSARI D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	120,000.00 रुपये एक लाख बीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये तीन करोड़ तीरसठ लाख तेरह हजार पाँच सौ

257,500.00

क्रमिक योग:

36,313,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

8001 PCCE DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्स-सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27046	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	37,800.00 रुपये सैतीस हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
29	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27047	HZBFWL009 SOURAV CHANDRA DIV. FOREST OFFICE EAST 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	40,000.00 रुपये चालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
30	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27048	HZBFWL005 SHABA ALAM ANSARI D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	117,500.00 रुपये एक लाख सत्रह हजार पाँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये तीन करोड पैंसठ लाख आठ हजार आठ सौ

195,300.00

क्रमिक योग:

36,508,800.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL PRCE DEV. BHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27049	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	75,000.00 रुपये पचहत्तर हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
32	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27050	GRDFOR003 ANKIT KUMAR SINGH D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	50,000.00 रुपये पचास हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
33	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27051	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	40,000.00 रुपये चालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये तीन करोड़ छह लाख तीस हजार आठ सौ

165,000.00

क्रमिक योग:

36,673,800.00

(NAND KISHORE SINGH)

CCCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
34	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27052	BKRFOR001 RAJNISH KUMAR, I.F.S D F O, BOKARO	55,000.00 रुपये पचपन हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
35	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27053	DHNFOR001 VIKAS PALIWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
36	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27054	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	37,500.00 रुपये सैतीस हजार पाँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये तीन करोड़ सड़सठ लाख इनकानये हजार तीन सौ

117,500.00

क्रमिक योग:

36,791,300.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
37	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27055	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	40,000.00 रुपये चालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
38	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27056	KDMFORA02 MAHALING D.F.O (S.F.) KODERMA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	80,000.00 रुपये अस्सी हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
39	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27057	HZBFWL007 SAROJ BHAI PATEL IFS D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	80,000.00 रुपये अस्सी हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये तीन करोड उनहत्तर लाख इनकानवे हजार तीन सौ

200,000.00

क्रमिक योग:

36,991,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

PCCE DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
40	S 19 24060178958010323	27058	GRHFWL003	80,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SAUMITRA SHUKLA	रुपये अस्सी हजार
	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		DFO SOCIAL	
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		FORESTRY DIV	
	01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		GARHW	
	03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	



State Scheme : NA
Central Scheme : NA

योग:

80,000.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड सत्तर लाख इकहत्तर हजार तीन सौ

37,071,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADP/PCCE DEV JHARKHAND